समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

सीजेआई बीआर गवई ने केंद्र को फटकार लगाई, कहा– “मेरे रिटायरमेंट के बाद सुनवाई चाहते है ?”

Publisher

Published on 06 Nov 2025

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) बीआर गवई ने हाल ही में केंद्र सरकार को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट से संबंधित सुनवाई में विलंब के लिए कड़ी फटकार लगाई है। सीजेआई गवई ने यह रुख इस बात को लेकर दिखाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार इस मामले को उनके रिटायरमेंट के बाद सुनवाई के लिए टालना चाहती है।

सीजेआई बीआर गवई ने स्पष्ट रूप से कहा कि न्यायपालिका के मामलों में देरी किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए घातक हो सकती है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या यह सही है कि संवैधानिक मामलों में सुनवाई केवल इसलिए टाली जा रही है ताकि यह उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद सुना जाए। यह टिप्पणी अदालत की बेहतरीन पारदर्शिता और न्यायपालिका के प्रति जिम्मेदारी की भावना को दर्शाती है।

ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को लेकर लंबी चर्चा और केंद्र की ओर से सुनवाई में विलंब ने कई कानूनी विशेषज्ञों और न्यायप्रेमियों की चिंता बढ़ा दी है। जस्टिस गवई ने इस अवसर पर कहा कि न्यायपालिका का काम केवल नियमों के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि न्याय समय पर मिले। उनका यह रुख यह भी इंगित करता है कि सरकार को संवैधानिक मामलों में किसी भी प्रकार की देरी से बचना चाहिए।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कई बार केंद्र सरकार को नोटिस दे चुकी है और इस बात पर जोर दिया है कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट के प्रावधानों की समीक्षा समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि न्यायालय की प्रतिष्ठा और जनता का न्याय में विश्वास इस प्रकार की देरी से प्रभावित हो सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सीजेआई की इस फटकार का मकसद केवल सरकार को चेतावनी देना नहीं है, बल्कि यह यह संदेश देना भी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव या विलंब के कारण पीछे नहीं हटेगी। जस्टिस गवई के शब्दों ने यह स्पष्ट किया

कि संवैधानिक मामलों में समयबद्ध सुनवाई किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव है।

कानूनविदों के अनुसार, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट के तहत विभिन्न ट्रिब्यूनल्स और न्यायिक निकायों के गठन और पुनर्गठन से जुड़े मसले अदालत में लंबित हैं। इस मामले में समय पर निर्णय न होने से न केवल सरकारी कार्यप्रणाली प्रभावित होती है, बल्कि आम नागरिकों के न्याय तक पहुंचने में भी देरी होती है।

सीजेआई बीआर गवई की फटकार ने यह भी संकेत दिया कि न्यायपालिका अपने कर्तव्य के प्रति कितनी संवेदनशील और सतर्क है। उनका यह रुख न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की रक्षा में उनके दृढ़ संकल्प को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कोई भी संवैधानिक मुद्दा व्यक्तिगत या राजनीतिक कारणों से टालना न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है।

इस बयान के बाद कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार पर अब यह दबाव बढ़ गया है कि वह ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट पर सुनवाई में विलंब को रोकते हुए न्याय प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करे। जस्टिस गवई की टिप्पणी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मामलों में समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने में कट्टर है।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि न्यायपालिका अपने कार्यकाल और प्रक्रिया की पारदर्शिता के प्रति सख्त है। सीजेआई बीआर गवई का यह रुख भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.